फर्द अहकाम

आन्नीलाल बनाम राजेन्द्र कुमार वगैरह

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6/01/2020	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी ने बहस करना जाहिर किया। वकील वादी की बहस को सुना गया। बाद बहस मनन व अवलोकन पत्रावली से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र डिक्री किया जाकर ख० नं० 585 रकबा 0.46 हे० कुल किता 01 कुल रकबा 0.46 हे० वाके ग्राम मौरवनपुरा, तह० मौजमाबाद में दर्ज खातेदार प्रति० नं० 2 ल० 5, 6 व नं० 6/4 व 7 का नाम खारिज किया जाता है एवं वादीगण को 4/5 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू	

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) कूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 36/2017

वाद दायरी दिनांक : 20/04/2017

निर्णय दिनांक : 06/01/2020

1. आनन्दीलाल पुत्र रामदेव उम्र 86 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 मो. नम्बर 9929555103 (मृतक)

1/1 राजेन्द्रप्रसाद गौड पुत्र स्व0 आनन्दीलाल
1/2 श्रीमती मंजूदेवी पत्नी गोविन्दसहाय
1/3 बिमलादेवी पुत्री स्व0 आनन्दीलाल
1/4 उर्मिलादेवी पुत्री स्व0 आनन्दीलाल

} समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासीगण मौखमपुरा तह. मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।

––वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ईश्वरलाल जाति जाट निवासी ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2. गोविन्दनारायण पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
3. सावरमल पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
4. दीनदयाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
5. मदनलाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
6. छीतरमल पुत्र श्री रूपनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 (मृतक)

6/1 देवकीनन्दन पुत्र छीतरमल
6/2 हरिप्रसाद पुत्र छीतरमल
6/3 विमलादेवी पुत्री छीतरमल
6/4 सुमन पुत्र छीतरमल

} समस्त जातियान ब्राहाम्ण, निवासीगण बिचून, तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कूदू

सहायक कलक्टर
कूदू

Scanned by CamScanner

7. गिरधारी पुत्र श्री रूपनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

8. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

--- प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0)

उपस्थिति – रामजीलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादीगण
प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 ल. 5, 6/1 ल. 6/4 व 7 के विरूद्ध
एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 06/01/2020

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 76 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 585 रकबा 0.46 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 जिसकी वर्तमान खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम से दर्ज है। जो गलत है वास्तव में उक्त भूमि वादी के खातेदारी भूमि है एवं वादी मौके पर बहैसियत खातेदार काश्तकार है। मौके पर काबिज काश्त है लगान खातेदारान के मार्फत राज्य सरकार को अदा करता आ रहा है। वर्तमान में बारानी भूमि का लगान माफ है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 585 ग्राम मौखमपुरा का साबिक खसरा नम्बर 2253 रहा है। जो मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है उक्त ग्राम जागीर का ग्राम रहा है एवं वरवक्त जागीरदार ठाकुर मानसिंह जी रहे है तत्समय उक्त भूमि पर वादी एवं वादी के पिता रामदेव का कब्जा काश्त रहा है राज्य सरकार द्वारा जागीरी प्रथा समाप्त कर राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 लागू किया गया एवं प्रथम पर्चा सैटलमेंट विभाग द्वारा सम्वत 2011 से 2029 जारी किया गया। प्रथम पर्चा सैटलमेंट के समय ग्राम मौखमपुरा ग्राम बिचून गांव रहा है तथा वरवक्त सैटलमेंट की गलती से आराजी खसरा नम्बर साबिक 2253 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का गलत रूप से पर्चा रूपनारायण पिता विधाधर ब्राहम्ण साकिन देह के दर्ज कर दिया गया जो गलत किया,

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चूरू

चूंकि जमाना जागीर के समय से ही उक्त भूमि पर आनन्दीलाल पुत्र रामदेव का कब्जा काश्त रहा है एवं प्रथम पर्चा सैटलमेंट सम्वत 2011 का पर्चा वादी के हक में जारी किया जाना चाहिऐ था यहां यह भी अंकित किया जाना आवश्यक है कि जमाना जागीर ठाकुर मानसिंह जी की जागीरी का ग्राम मौखमपुरा में वादी के पिता रामदेव का कब्जा रहा है एवं रामदेव के जीवनकाल में ही वादी आनन्दीलाल ने विवादित भूमि पर काश्त किया। विवादित भूमि के चारो तरफ भूमि यथा खसरा नम्बर 2251, 2250, 2252, 2254 वादी के परिवारजन एवं वादी के हक में दर्ज कर दी गई परन्तु खसरा नम्बर 2253 गलत रूप से रूपनारायण पुत्र विधाधर के दर्ज कर दी गई खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय सम्वत 2011 से 2014, 2015 से 2018 में खसरा नम्बर 2253 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बारानी अवल वादी के पिता रामदेव के हक में कोलम संख्या 6 में इन्द्राज यिका जाकर दिनांक 05.11.58 को मक्का, दिनांक 06.03.58 को उन्हालु बेजड एवं दिनांक 02.12.59 सावणु मक्का व उन्हालु गोज्यु काश्त का अंकन वादी के हक में यिका गया है इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 से 2020 में भी वादी के हक में वादी के नाम से खसरा गिरदावरी में काश्त किया जाना अंकित है तथा सम्वत 2020 के पश्चात खसरा गिरदावरी वादी के हक में इन्द्राज किया गया है। इस प्रकार कभी भी विवादित भूमि रूपनारायण तथा उसके पश्चात उनके वारिशान प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा काश्त विवादित भूमि पर नही रहा है न ही विवादित भूमि प्रतिवादीगण का सम्बंध एवं सरोकार हे चूंकि खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2019 व सम्वत 2031 से 2034 में बतौर काश्तकार वादी के हक में इन्द्राज किया गया है जिसेस बखूबी प्रमाणित एवं साबित है। उक्त भूमि का पथम पर्चा राजस्व सैटलमेंट द्वारा कब्जे के विरूद्ध वादी के बजाय रूपनारायण पुत्र विधाधर के गलत जारी कर दिया गया तत्पश्चात नामांतकरण संख्या 872 के द्वारा गलत रूप से घीसी देवी, रूपनारायण एवं तत्पश्चात जरिये विरासत नामांतकरण प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के हक में दर्ज कर दिय ागया है एवं गंगासहाय पुत्र रूपनारायण द्वारा अपना हिस्सा 1/5 का नुमायशी बैचाननामा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में दिनांक 28.05.2014 को कर दिया गया है। जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण संख्या 539 दिनांक 13.06.16 के द्वारा किया गया है जो गलत है चूंकि समस्त इन्द्राजात बमुकाबले नुमाईशी व अवैधानिक इन्द्राजात है जिसे किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 गंगासहाय को सर्जित नही होते है तथा गंगासहाय ने अपनी नुमाईशी व अवैधानिक रूप से दर्ज खातेदारी का बिना कब्जे दिनांक 28.5.14 को बिना

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) बूंदी

Scanned by CamScanner

कब्जा सुपुर्द किये कानून के विपरीत जाकर नुमाईशी इन्द्राज के आधार पर विक्रय पत्र पंजीबद्व करवाया है जिसका गंगासहाय पुत्र रूपनारायण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था न ही किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त थे तत्पश्चात जो विक्रय दिनांक 28.05.2014 को उपपंजीयक कार्यालय मौजमाबाद में बहक प्रतिवादी संख्या 1 गलत विधि विरूद्व पंजीबद्व करवाया है जो बमुकाबले वादी प्रभावशुन्य बातिल एंव बेअसर है उक्त शून्य दस्तावेजात के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं उक्त शून्य इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 को किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है। जमाना जागीर से आज तक विवादित भूमि पर निरन्तर रूप से बिना किसी बाधा रूकावट व्यवधान के वादी द्वारा अन्य खातेदारी भूमि में इकजाई व इकजाई रूप से मेड बांध कर व सीमा कायम कर विवादित भूमि को अपने खातेदारी दर्ज भूमि में मिलाकर जमाना जागीर से आज तक बहैसियत खातेदार काश्त कर काबिज चला आ रहा है मौके पर कभी भी रूपनारायण या उनके वारिशान का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है न ही प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हक में किये गये समस्त इन्द्राजात बमुकाबले वादी प्रभावशून्य बातिल एवं बेअसर है तथा उक्त दस्तावेजात दिनांक 28.05. 2014 नुमायशी व शून्य दस्तावेजात जिससे उन्हे किसी प्रकार के खातेदारी के आधार पर कानूनन प्रतिवादीगण किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है वादी घोषणा खातेदारी प्राप्त करने व स्थायी निषेधाज्ञा अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी मौके पर शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काश्त करता चला आ रहा है आज भी मौके पर काबिज काश्त है वादी अनपढ एवं मौके पर काबिज काश्त होने से एवं प्रतिवादी के बुजूर्ग रूपनारायण एवं तत्पश्चात व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 व गंगासहाय द्वारा यह विश्वास व भरोसा दिलवाया गया कि उक्त भूमि पर हमारा कब्जा नही है तथा हम जब आप चाहोगे विवादित भूमि आपके नाम लगवा देंगे। जिस पर वादी ने विश्वास व भरोसा कर लिया चूंकि रूपनारायण जी ग्राम बिचून में निवास करते थे जिस पर आपसी प्रेम व्यवहार से भरोसा कर लिया तथा रूपनारायण जी ने कभी भी अपने जीवनकाल एवं तत्पश्चात प्रतिवदी संख्या 2 लगायत 7 द्वारा कभी भी उज्र ऐतराज एवं वादी की खातेदारी मालिकाना हक व अधिकारो से कभी इन्कार नही किया था तथा वादी का मालिकाना हक व खातेदारी स्वीकार कर लिया था। वादी ने जब जब प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 को उक्त भूमि वादी के हक में इन्द्राज व नाम लगाने बाबत कहां तो प्रतिवादीगण ने कभी भी नाम लगवाने

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

का विश्वास व भरोसा दिलाते रहे जिस पर वादी ने विश्वास कर लिया हाल ही में गंगासहाय द्वारा बिना कब्जे प्रतिवदी संख्या 1 को विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 08.03.2017 को जमाबंदी राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने से हुई जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 से सम्पर्क कर उक्त भूमि नुमाईशी विक्रय बनवाने पर ऐतराज व शेष भूमि नाम लगाने बावत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि वादी के नाम लगाने से स्पष्ट इंकार होकर वादी की खडी फसल चना उन्हालू नष्ट करने जबरन कब्जा कर वादी को कब्जे से बेदखल करने बैचान करने दिनांक 15.03.2017 को धमकी दी जिस पर वादी को आवश्यक हो गया कि वह माननीय न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करे तत्पश्चात आवश्यक राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया जाकर वाद प्रस्तुत है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि यह कि वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 585 रकबा 0.46 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं डिक्री पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे। वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 585 वाके ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नही करे न ही कब्जे से बेदखल करे, न ही रहन, बैचान मुन्तकिल करे न स्वयं करे न नौकर चाकर एजेन्ट आदि से करावे पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 09/10/2018 को वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 151 जा0 दी0 पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 25/02/2019 को प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी जाकर न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 09/10/2019 को वकील वादी ने अखबार साया की प्रति पेश की। प्रतिवादी संख्या 1 ल. 5 व 6/1 ल. 6/4 व 7, 8 बावजूद अखबार छाया सूचना के उपसिथत नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

दिनांक 09/12/2019 को वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया गया एवं शेष प्रतिवादी संख्या 2 ल. 7 के विरूद्ध वाद में अनुतोष यथावत रखा जाता हैं। वकील वादी ने गवाह पी.डब्ल्यू 1 आनन्दीलाल, पी.डब्ल्यू 2 बृजमोहन, पी.डब्ल्यू 3 चेतन के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल किये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0 दी0 पेश हुआ, जो स्वीकार किया। संशोधित टायटल पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 6, मिलान क्षैत्रफल, भू प्रबन्ध विभाग खसरा गिरदावरी चतुर्वर्षीय, विकय–पत्र दिनांक 28/05/2014 एवं नामान्तरकरण संख्या 539 आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि प्रदर्श–1 हाल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 76 में वर्तमान खातेदारी ''गोविन्दनारायण, सांवरमल, दीनदयाल, मदनलाल पि0 भंवरलाल हि. 1/5, गंगासहाय, छीतरमल, गिरधारी पि0 रूपनारायण हि.3/5 गोविन्दनारायण पुत्र भंवरलाल हि. 1/5 कौम ब्राहाम्ण सा0 बिचून'' दर्ज है एवं तत्पश्चात ना0स0 539 दिनांक 13/06/2016 विक्रय–पत्र से गंगासहाय पुत्र रूपनारायण जाति ब्राहाम्ण हि0 1/5 के बजाय राजेन्द्र कुमार पुत्र ईश्वरलाल जाट हि. 1/5 सा0 देह खातेदार के नाम स्वीकार है, जो उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण हैं। वादी ने वाद–पत्र पेश कर अंकित किया है कि ''उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम से गलत अंकित हुयी है, जबकि वादी का ही जमाना जागीर से कब्जा काश्त है एवं अब वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।'' इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–4 खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 से 2030 में कॉलम संख्या 40 में काश्तकार के रूप में ''आनन्दीलाल पुत्र रामदेव ब्राहाम्ण मौखमपुरा'' दर्ज है, इसी प्रकार प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 से 2020 में कॉलम संख्या 24 स्व0 श्योकरण व आनन्दीलाल दर्ज है, प्रदर्श–6 खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 से 2018 के कॉलम संख्या 6 में खातेदार रामदेव वल्द श्रीनारायण ब्राहाम्ण एवं कॉलम संख्या 16, 32 व 40 में

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

आनन्दीलाल दर्ज हैं। तत्पश्चात प्रदर्श 7 खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 2034 में कॉलम संख्या 6 में ना0स0 872 दिनांक 16/08/1972 से खातेदार धीसीदेवी बेवा रूपनारायण कौम ब्राहमण सा0 देह, कॉलम संख्या 16, 24, में आनन्दीलाल पुत्र रामदेव ब्राहम्ण दर्ज है।" जिससे यह पाया जाता है कि विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त पूर्व में वादी के पिता रामदेव का रहा है एवं उसके पश्चात वादी स्वंय आनन्दीलाल का चला आ रहा हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से भी विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त होना पाया जाता हैं। इस प्रकार यह पाया जाता है कि पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 में जो माफी रूपनारायण वल्द विद्याधर कौम ब्राहाम्ण सा0 देह मु0 कदीम के नाम से जारी किया गया है, वह गलत रूप से जारी हुआ है, जबकि कब्जा काश्त सम्वत 2011 से पूर्व ही वादी के पिता रामदेव का होना पाया जाता हैं। रूपनारायण वल्द विद्याधर की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजीयात वर्तमान में उसके वारिशान प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज चली आ रही है, जिसमें से गंगासहाय द्वारा बैचान से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं। इस प्रकार जो बैचान हुआ है, वह भी नूमाईशी तौर पर होना पाया जाता हैं, लेकिन वादी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0 दी0 पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ किसी प्रकार की राहत नही चाहकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ करवाने का निवेदन किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम इस न्यायालय द्वारा न्यायहित में हजफ कर दिया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 बावजूद तामिल न तो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये एव न ही उनकी ओर से किसी प्रकार का जवाब या आपत्ति इस न्यायालय में पेश हुयी हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से वादी ने अपने वाद–पत्र को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5, 6/1 ल. 6/4 व 7 डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 585 रकबा 0.46 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.46 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद में दर्ज खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 ल. 5, 6/1 ल. 6/4 व 7 का नाम हजफ किया जाता है एवं वादीगण को 4/5 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू, जिला जयपुर राज0।

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई मैके डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम दूदू (जयपुर)

ब इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.)

छोटूलाल पुत्र रामदेव जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम-मौखमपुरा तह० मौजमाबाद जयपुर (मृतक) व अन्य बनाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशनलाल जाति जाट निवासी ग्राम मौखमपुरा तह० मौजमाबाद व अन्य

दावा बाबत घोषणा।

मुकदमा नं. 36 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रामबिलाल शर्मा अधिवक्ता

व हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रति० सं० 1 का नाम हटाए ... के विरुद्ध एकपक्षीय ... प्रार्थी सं० 2 ता० 5, 6/1 ता० 6/4 व 7 के ... व डिग्री दी जाती है कि

.... मिनजानिब मुद्दआलेह पेश ... प्रति० सं० 8 पैरा० 3 ...

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण सं० 2 लगायत 5, 6/1 ता० 6/4 व 7 (डि... डिक्री जारी कर विवादित आराजी ख० नं० 585 रकबा 0.46 है० कुल किता 01 कुल रकबा 0.4... वाके ग्राम मौखमपुरा तह० मौजमाबाद में दर्ज खातेदार प्रति० सं० 2 ता० 5, 6/1 ता० 6/4 व 7 ... घोषित किए ... नाम हजफ किया जाता है एवं वादीगण का 4/5 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है कि वादी... जाता है तथा प्रतिवादीगण के जरिए स्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि ... कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। मिकदार .... फौरादी .... आज की तारीख से

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वगैरह

तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 01 सन 2020 को

जारी की गई।

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
[redacted] वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू (जयपुर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

Scanned by CamScanner